

24/3/25

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान
कमांक न्यायालय विधि 2025 / 42039
13-02-2025 की पालना में न्यायालय
अधिकारी, भीलवाड़ा से पत्रावली समवाय
बनाम 24/7/25 स्थानांतरित होय
सहायक कलेक्टर, भीलवाड़ा में प्राप्त हुई है।
बाद से / प्राप्ति से 24/6/25 को पेश किया जाकर
पूर्व न्यायालय के आदेशानुसार प्रकाशन की सुनवाई
हेतु दिनांक 24/6/25 को पेश हो

4/7/25

सहायक कलेक्टर

27/6/25

दीपा राठी
पट्टा पटवारी ललित कला क्षेत्र
पब्लिक मॉडल
27/6/25

श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश कमांक न्याय / विधि / 2025 / 42039 दिनांक 13/2/25 का
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में विद्यमान राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1958 की धारा
53, 88, 89, 92 क, 183, 188, एवं 212 के अन्तर्गत विद्यमान तहसील सर्वाईपुर की पत्रावली अंतरित
होकर बास्ते सुनवाई प्राप्त हुई है। उक्त प्रकरणों में समस्त पत्रावली से अंतरित उक्त पत्रावलियों
का सम्यक रूप से निस्तारण किने जाने एवं जनहितार्थ राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1958 की
धारा 216 (3) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि उक्त समस्त पत्रावलियों
में स्वतंत्रता प्रदान किये जाये एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किने जाने हेतु केम्ब कोर्ट दिनांक 27/6/25
स्थान 67 57 2025 पेश हुई। प्रकाशन उपरि उक्त / अनुपस्थित पत्रावली बास्ते सुनवाई
दिनांक 24/7/25 को पेश हो।

24/7/25
सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा

24/7/25

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान
कमांक न्यायालय विधि 2025 / 42039
13-02-2025 की पालना में न्यायालय
अधिकारी, भीलवाड़ा से पत्रावली समवाय
बनाम 24/7/25 स्थानांतरित होय
सहायक कलेक्टर, भीलवाड़ा में प्राप्त हुई है।
बाद से / प्राप्ति से 24/6/25 को पेश किया जाकर
पूर्व न्यायालय के आदेशानुसार प्रकाशन की सुनवाई
हेतु दिनांक 24/6/25 को पेश हो

आदेश से सीडर
आज्ञा से सीडर

26/7/25

पत्रावली पेश हुयी उपर्युक्त
पाठार्थी अधिकारी अथवा कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 29/7/25 को पेश हो।

आदेश से सीडर

29/7/25

पत्रावली पेश हुई। पैगोकार सरकार उपा.
पैगोकार सरकार द्वारा वादग्रस्त भूमि की
जमाबंदी पैगो कर निवेदन किया कि वादी द्वारा
वादग्रस्त भूमि का दीगर व्याप्री के फल में विवेक
कट किया गया है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का


2027889

11-11-25

हुक्म या कार्यवाही मय इतिहास जल

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

29/7/25 बीठार जामिनी के पत्र में त्रिकुण्ड उपाय
वादागत बुद्धि राज्य वेकाई में केला
का नाम दर्ज हो चुका है। अतः वादी द्वारा
उत्तरवाद में वादी किसी प्रकार का
अनुरोध प्राप्त करने का अधिकारी नहीं
है। अतः वादी द्वारा उत्तरवाद अन्तर्गत
आव 183 का वादागत कार्यकारी अधिकारी
को जारी किया जाता है। निरीक्षण कर उपरोक्त
सुनाया गया प्रमाण की फाइनल बुद्धि
होकर वादागत दफ्तर ही तथा बन्द रहने
कम हो।


29/7/25

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा